भाकृअनुप – केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0)

क्रमांकः 4(4)सीएस0/2018/ दिनांकः 30.04.2019

<u>नीलामी सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी स्क्रेप सामान (जैसा है जहां है कि स्थिति में) जिनका खुली नीलामी विवरण निम्नलिखित हैं –

1. खुली बोली द्वारा नीलामी दिनांक <u>25.05.2019</u> को प्रातः 11.00 बजे से केंद्रीय भंडार, अविकानगर पर होगी।
2. अनुपयोगी नीलामी के सामान का अवलोकन दिनांक 18.05.2019 से 24.05.2019 को किया जा सकता है।
3. अमानत राशि रूप्ये 20,000/– सिर्फ डी.डी. **<u>ICAR Unit CSWRI</u>** के नाम का ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. नकद लेन–देन बिल्कुल नहीं होगा।
5. सफल बोलीदाता की राशि में से अमानत राशि का समायोजन एवं शेष राशि ऐटीम कार्ड द्वारा संस्थान खाते में जमा करानी होगी।
6. असफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के उपरांत वापस किया जावेगा।
7. <u>अनुपयोगी स्क्रेप सामान का संक्षित विवरण</u> – फीडिंग ट्रफ, केजेज, पंखे, कम्प्यूटर, साईक्लोस्टाईल मशीन, कैमरा, एसी, यूपीएस, विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरण, फर्नीचर, अन्य स्क्रेप इत्यादि एवं सुपर ड्राफटर मशीन 2 नग यथास्थान से बोलीदाता स्वयं के खर्च पर हटाकर ले जाना होगा।
8. <u>सफल बोलीदाता को कुल बोली का 25 प्रतिशत या अधिक की राशि तुरंत संस्थान अकाउंट **ICAR Unit CSWRI** में डिमाण्ड ड्राफट/ऐटीम/ऑनलाईन द्वारा जमा करवाना होगा।</u>
9. अगर उपरोक्त पर अनुपयोगी स्क्रेप सामान पर जीएसटी इत्यादि लगता है तो वह सफल बोलीदाता को अलग से नियमानुसार वहन करना होगा।
10. नीलामी सूचना इस संस्थान की वेबसाइट **www.cswri.res.in** एवं <u>cpp portal</u> पर भी देखी जा सकती है।
11. नीलामी की अन्य नियम/शर्ते बोली लगाने से पूर्व सूचित कर दी जावेगी।
12. संस्थान के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

प्रशासनिक अधिकारी – भंडार

नीलामी की नियम एवं शर्ते

1– इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने से पहले संस्थान के पास अपना फोटो पहचान पत्र एवं बतौर अमानत राशि के रूप में **रूपये 20,000/–** (अक्षरे बीस हजार मात्र) सिर्फ डिमाण्ड ड्राफट/ऑनलाईन/ऐटीम के द्वारा जो कि ICAR UNIT CSWRI के पक्ष में जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकेगें। सफल बोलीदाता की राशि समायोजित कर ली जावेगी किंतु असफल बोली दाता को डिमाण्ड ड्राफट बोली के उपरांत वापस दे दिया जावेगा। किंतु ऑनलाईन से जमा राशि उनके बैंक अकाउंट में सात कार्यदिवस में जमा करा दिए जावेंगे। **नकद लेन–देन नहीं होगा।** बिना अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफट/ऐटीम/ऑनलाईन से जमा कराये अन्यथा बोली में भाग नहीं ले सकेंगे।

2– अमानत राशि नीलामी की तिथि दिनांक **25.05.2019** को नीलामी से पूर्व प्रातः 09.40 बजे से 11:00 बजे तक अमानत राशि के **डिमाण्ड ड्राफट जमा किए जावेगें।** इसके पश्चात खुली बोली प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ कर दी जावेगी।

3– नीलामी में बोलीदाता को बोली 1000 रूपये के गुणांक में ही बोली बोलनी होगी। जिस व्यक्ति/फर्म की बोली अधिक होगी उसी व्यक्ति/फर्म के नाम से बोली छोडी जायेगी।

4– बोली छूटने के बाद यदि बोलीदाता को किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो उस पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।

5– जिस व्यक्ति/फर्म के बोली छुटेगी, **अधिकतम सफल बोलीदाता को 25 प्रतिशत या अधिक की राशि तुरंत संस्थान अकाउंट ICAR Unit CSWRI में सिर्फ डिमाण्ड ड्राफट/ऐटीम/ऑनलाईन द्वारा जमा करवाना होगा, नकद जमा नहीं हो सकेगा।** तथा शेष राशि 07 दिनों के अन्दर–अन्दर जमा कराकर अनुपयोगी सामान को संस्थान से उठाकर ले जाना होगा। ऐसा न करने पर अमानत राशि अथवा 25 प्रतिशत राशि जब्त करली जायेगी। जिसकी जिम्मेवारी स्वयं बोलीदाता की होगी।

6– नीलाम किये जाने वाले सामान की सरकारी कीमत आरक्षित है। निर्धारित कीमत से कम कीमत में बेचना संभव नहीं होगा। आरक्षित सरकारी कीमत से उच्चतम बोली ही स्वीकार की जावेगी।

7– उपरोक्त पर जीएसटी इत्यादि लगता है तो वह सफल बोलीदाता को अलग से नियमानुसार वहन करना होगा।

8– एक लोट जिस किसी बोलीदाता के छूटता है, उस लोट की 25 प्रतिशत राशि **तुरंत संस्थान अकाउंट ICAR Unit CSWRI में सिर्फ डिमाण्ड ड्राफट/ऐटीम/ऑनलाईन द्वारा** जमा कराने के उपरान्त ही वह बोलीदाता दूसरे लोट के लिए बोली लगा सकेगा।

9– **सुपर डॉफ्टर मशीन 2 नग यथास्थान से बोलीदाता स्वयं के खर्च पर हटाकर ले जाना होगा** यदि उक्त मशीन को यथास्थान से निकालने व लेजाने में संस्थान सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो संबंधित नीलामीदाता को पूर्ण भरपाई/मरम्मत/नुकसान को वहन करना होगा इसके उपरांत ही उक्त मशीन को संस्थान से बाहर ले जाने की अनुमति दी जावेगी।

10– उपरोक्त शर्तो में यदि कोई संशोधन होगा तो बोली से पूर्व स्पष्ट कर दिया जावेगा। संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार पूर्ण–रूप से सुरक्षित है।